समाजवाद की वजह से पलायन

इससे पहले ऐसी भी खबरें आई थीं कि कोरोना की दूसरी लहर में खराब चिकित्सा तंत्र का हाल देखने के बाद अमीर तो क्या मध्यवर्गीय लोग भी दूसरे देशों में बस रहे हैं या बसना चाहते हैं। इससे ब्रेन ड्रेन डिनर टेबल पर चर्चा का विषय बन गया है।

मोहन जोशी।

भारत से इमिग्रेशन भले बढ़ रहा है, लेकिन यह कोई मसला नहीं है। असल दिक्कत यह है कि देश में लोगों में निवेश नहीं किया जा रहा है। इसमें इस बात का जिक्र है कि किस तरह से देश का समृद्ध वर्ग अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए अमेरिका और ब्रिटेन भेजने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ रहा है। इससे पहले ऐसी भी खबरें आई थीं कि कोरोना की दूसरी लहर में खराब चिकित्सा तंत्र का हाल देखने के बाद अमीर तो क्या मध्यवर्गीय लोग भी दूसरे देशों में बस रहे हैं या बसना चाहते हैं। इससे ब्रेन ड्रेन डिनर टेबल पर चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन इसे लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं। संपादकीय कहता है कि भारत में समाजवाद की वजह से 1960 के बाद से पलायन शुरू हुआ। समाजवाद के कारण ही 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक संकट पैदा हुआ। इसके बाद हुए आर्थिक सुधारों के कारण देश में लोगों की आमदनी बढ़ी, लेकिन तब भी पलायन नहीं रुका। ये बातें सही हैं, लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि इससे देश को नुकसान नहीं हुआ।

आज दुनिया की सबसे विशाल कंपनियों में शामिल गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ क्रमशः सुंदर पिचाई और सत्य नाडेला जैसे भारतीय हैं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के हर नए मिशन में भारतीयों की प्रमुख भूमिका है। वहां जो कटिंग ऐज रिसर्च हो रही हैं, उनमें देश से गए लोग योगदान कर रहे हैं। अमेरिका की सिलिकॉन वैली में भारतीय को सम्मान की नजर से देखा जाता है। उनके योगदान की बदौलत ऐसी कंपनियां वजूद में आ रही हैं, जो दुनिया की तकदीर बदलने का दमखम रखती हैं। दूसरी तरफ, भारत में अब तक ऐसी कंपनियां खड़ी नहीं हो पाई हैं। अमेरिका अगर आज दुनिया की महाशक्ति है तो उसमें स्थानीय प्रतिभाओं के साथ भारत, चीन और दुनिया भर से गई प्रतिभाओं का योगदान है। अब ईलॉन मस्क की ही मिसाल लीजिए, जो दक्षिण अफ्रीका से अमेरिका पहुंचे और आज उनकी कंपनी स्पेसएक्स मंगल पर इंसानों को ले जाने की तैयारी कर रही है।

टेस्ला के जरिये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की भविष्य की एक राह भी मस्क ने तैयार की है। ऐसे में अगर भारत को वैश्विक महाशक्ति बनना है तो उसे अपने यहां की प्रतिभाओं को बाहर जाने से रोकना होगा। यह तभी हो पाएगा, जब उन्हें देश में उभरने का मौका मिले। उसे ऐसे हालात बनाने होंगे, जिससे जो लोग भारत के बिल गेट्स, जेफ बेजोस और मार्क जकरबर्ग हो सकते हैं, वे देश छोड़कर न जाएं। तभी, विदेशी प्रतिभाएं भी हमारे यहां आएंगी और हम भी ऐसी कंपनियां और संस्थान खड़े कर पाएंगे, जो दुनिया का भविष्य तय कर सकेंगी।

धर्म में भी परिक्रमा

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

हिन्दू सहित जैन, बौद्ध और सिख धर्म में भी परिक्रमा का महत्व है। इस्लाम में मक्का स्थित काबा की 7 परिक्रमा का प्रचलन है। पूजा–पाठ, तीर्थ परिक्रमा, यज्ञादि पवित्र कर्म के दौरान बिना सिले सफेद या पीत वस्त्र पहनने की परंपरा भी प्राचीनकाल से हिन्दुओं में प्रचलित रही है। मंदिर जाने या संध्यावंदन के पूर्व आचमन या शुद्धि करना जरूरी है। इसे इस्लाम में वुजू कहा जाता है।

एक बार नारद जी को यह अभिमान हो गया कि उसने बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। उनका व्यवहार भी इस भावना से प्रेरित होकर कुछ बदलने लगा। वे भगवान के गुणों का गान करने के साथ–साथ अपने सेवा कार्यों का भी वर्णन करने लगे।

संपादकीय

बहस की गुंजाइश

रेप लॉ के मुताबिक महिला के शरीर के किसी अंग में पुरुष जबरन प्राइवेट पार्ट डालता है तो वह बलात्कार है। ऐसे में किसी मामले में यह बहस उठ सकती है कि पति को रेप कानून की आड़ में प्रोटेक्शन मिलेगा या फिर अप्राकृतिक संबंधों के मामले में उस पर शिकंजा कसा जाएगा? दूसरी तरफ एडल्टरी केस में सुप्रीम कोर्ट सेक्सुअल स्वायत्तता की बात करता है तो उसका दायरा क्या है? क्या सेक्सुअल स्वायत्तता के तहत पत्नी को हां या ना कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए? अब अगर हम पोक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012) कानून को देखें तो उसके तहत भी जबर्दस्त विरोधाभास है। इस कानून में 18 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्ट करने की बात है। पोक्सो एक्ट के तहत सहमति के कोई मायने नहीं होते। तो क्या 18 साल से कम उम्र की पत्नी पोक्सो के तहत प्रोटेक्टेड नहीं है?

मैरिटल रेप को कानून के दायरे में लाने से परिवार संस्था पर असर पड़ने की बात एक हद तक सही हो सकती है, इसके दुरुपयोग की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इन आधारों पर मैरिटल रेप को लेकर शुरू हुई बहस की गंभीरता कम नहीं हो जाती।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से 18 साल के बीच है और मर्जी के खिलाफ उससे संबंध बनाए जाते हैं तो वह पति के खिलाफ रेप का केस दर्ज करा सकती है।

कानून क्या कहता है

राजेश चौधरी।।

केरल हाई कोर्ट ने पिछले दिनों कहा कि मैरिटल रेप, तलाक का मजबूत आधार है। यूं तो मैरिटल रेप को लेकर भारत में पिछले कई सालों से बहस चल रही है, लेकिन अभी तक भारत में इसे अपराध नहीं माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक फैसले में यह जरूर कहा कि अगर पत्नी नाबालिग है तो वह पति के खिलाफ रेप का केस दर्ज करा सकती है। हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने इसे तलाक के आधार के तौर पर मान्यता दे दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसी सप्ताह एक मामले में पति के खिलाफ तय किए गए रेप के आरोप को यह कहते हुए अवैध करार दिया कि पत्नी अगर बालिग है तो पति के खिलाफ रेप का केस नहीं हो सकता। ऐसे में मैरिटल रेप को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है।

आईपीसी की धारा–375 में रेप को परिभाषित किया गया है और उसी में मैरिटल रेप यानी पति द्वारा 15 साल से ज्यादा उम्र की पत्नी के साथ बनाए गए संबंध को रेप का अपवाद माना गया है। कानून कहता है कि अगर कोई शख्स किसी महिला के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ संबंध बनाता है तो वह रेप होगा। महिला की उम्र अगर 18 साल से कम है तो उसकी सहमति के मायने नहीं हैं। यानी 18 साल से कम उम्र

की लड़की के साथ उसकी सहमति से बनाए गए संबंध भी रेप की श्रेणी में आएंगे। इसी तरह अगर कोई लड़की 15 साल से कम उम्र की है और उसके पति ने उससे संबंध बनाए तो वह रेप होगा। लेकिन पत्नी नाबालिग है और उम्र 15 साल से ज्यादा तो उसके साथ संबंध बनाना रेप के दायरे में नहीं आएगा। अक्टूबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में इस अपवाद को निरस्त कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से 18 साल के बीच है और मर्जी के खिलाफ उससे संबंध बनाए जाते हैं तो वह पति के खिलाफ रेप का केस दर्ज करा सकती है। हालांकि पत्नी अगर बालिग है तो मौजूदा कानूनी प्रावधान के तहत वह अपने पति के खिलाफ रेप का केस दर्ज नहीं करा सकती।

इस संदर्भ में केरल हाई कोर्ट का फैसला आगे की ओर एक कदम बढ़ाता है। उसने कहा कि पत्नी की मर्जी के खिलाफ संबंध बनाना मैरिटल रेप है। इस पर सजा तो नहीं हो सकती, लेकिन यह मानसिक और शारीरिक क्रूरता के दायरे में आता है। कानून में क्रूरता को पहले से तलाक का आधार माना गया है। हाई कोर्ट ने उसी प्रावधान की व्याख्या की और कहा कि मैरिटल रेप भी मानसिक और शारीरिक क्रूरता के दायरे में है और वह तलाक का आधार है।

भारत में पिछले कई सालों से इस बात को लेकर बहस चल रही है कि मैरिटल रेप को आईपीसी में अपवाद बनाया जाना कितना सही है। लड़की अगर शादीशुदा नहीं है तो उसकी मर्जी के खिलाफ संबंध रेप की श्रेणी में आता है। ऐसे में शादीशुदा लड़की की मर्जी के खिलाफ संबंध रेप की परिभाषा में क्यों नहीं आना चाहिए? यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इसे महिलाओं के संवैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन बताया जाता है।

इस दलील के बरक्स केंद्र सरकार का स्टैंड है कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से विवाह संस्था की बुनियाद हिल जाएगी और इस कानून के रूप में पतियों को प्रताड़ित करने का टूल मिल जाएगा। पति–पत्नी के बीच शारीरिक संबंधों के मामले में अगर मैरिटल रेप का केस सामने आता है तो यह सचमुच रेप है या नहीं, यह पत्नी के बयान पर निर्भर करेगा।

सूडोकु नवताल-5202

सरल

		5			3			
	2			9	5			
9						6		
							3	5
	6						7	
4	8							
		7						3
			2	4			9	
			8			2		

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5201 का हल

4	2	5	8	6	1	9	7	3
7	3	1	9	4	2	8	5	6
6	9	8	7	3	5	4	2	1
1	6	2	3	8	9	5	4	7
9	4	3	5	1	7	6	8	2
8	5	7	4	2	6	3	1	9
2	1	9	6	5	8	7	3	4
5	7	4	1	9	3	2	6	8
3	8	6	2	7	4	1	9	5

अपना ब्लॉग

पोक्सो कानून पर भी नजर डालना जरूरी

मोहन। ऐसे मामले में साक्ष्य की सीमाएं क्या होंगी? लॉ कमिशन और संसदीय कमिटी ने परीक्षण किया था और उनकी सिफारिश में मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में न रखने की बात कही गई थी। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों और रेप के साथ–साथ पोक्सो कानून पर भी नजर डालना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एडल्टरी कानून को गैर–संवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। उसका कहना था कि एडल्टरी कानून महिला को पति का गुलाम बना देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहा था कि स्वायत्तता का अधिकार, व्यक्तिगत इच्छा का अधिकार और गरिमा का अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं। इस दायरे मे सेक्सुअल स्वायत्तता भी आती है। एक अन्य फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दो बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा–377 के बाकी प्रावधान बरकरार रखा था। इसके तहत जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाना अपराध है।